POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति – दिनांक 16.06.2024

1.थाना इकोटेक 03 पुलिस द्वारा मोबाईल फोन लूटने व मकानो से आभूषण चोरी करने वाले 06 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से 23000/- रूपये नगद व 15 मोबाईल फोन (लूट/चोरी के) व चोरी के अन्य सामान बरामद।

कार्यवाही का विवरण--दिनांक **16.06.2024** को लोकल इन्टेलीजेन्स व प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर आज दिनांक 16.06.2024 को कुलेसरा मे हिन्डन नदी के किनारे से चोरी/लूट करने वाले 05 अभियुक्तगण को लूट के 01 मोबाईल फोन व चोरी किये सामान को बेचकर प्राप्त किये 23000/- रूपये नगद व आभूषण के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशादेही पर अभियुक्तों के एक अन्य साथी शिवम को ग्राम लखनावली से चोरी/लूट के 14 मोबाईल के साथ **गिरफ्तार** किया गया।

अपराध करने का तरीका--अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है। ये रास्ते चलते जनता के लोगो को डरा धमकाकर उनका मोबाईल फोन व रूपये आदि छीन लेते है। अभियुक्तगण दिन मे सुनसान मकानो की रेकी करते है तथा रात्रि के समय मौका मिलते ही उन मकानो मे चोरी कर मकान से नगदी व कीमती आभूषण आदि चोरी कर लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. अरूण पुत्र जगदीश निवासी कुलेसरा आइडियल स्कूल के पास कुलेसरा पुस्ता थाना इकोटेक-3, जनपद गौतम बुद्ध नगर उम्र करीब 20 वर्ष
2. अनुराग राय उर्फ अन्नू पुत्र वशिष्ठ राय निवासी खजूरावा थाना कैम्पीयरगंज जिला गोरखपुर
3. गौरव गुप्ता पुत्र सुरेश निवासी रूठा थाना जहाँगीराबाद जिला बुलन्दशहर हाल पता छपरौला चावल मील के सामने थाना बादलपुर जनपद गौतम बुद्ध नगर

4. साहिल पुत्र नकी निवासी मौहल्ला व्यापारियान जहाँगीरपुर थाना जेवर गौतम बुद्ध नगर हाल पता मुस्लिम प्रधान का मकान हल्दौनी थाना इकोटेक-3, गौतम बुद्ध नगर
5. आदित्य पुत्र महिपाल निवासी उपहेड़ा थाना कोतवाली हापुड़ जिला हापुड़ हाल पता संजय बिहार कालोनी कुलेसरा निकट मनोज यादव का मकान थाना इकोटेक-3
6. शिवम पुत्र अशोक कुमार निवासी बिरया थाना भरथना जिला इटावा हाल पता आस्था मोबाइल रिपेरिंग की दुकान लखनावली थाना सूरजपुर जनपद गौतम बुद्ध नगर

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0-237/2024 धारा 392/411 भादवि थाना इकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर बनाम गौरव व आदित्य
2. मु0अ0सं0-49/2024 धारा 380/457/411 भादवि थाना इकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0-198/2024 धारा 380/411 भादवि थाना इकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0-004/2024 धारा 380/411 भादवि थाना इकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर
5. मु0अ0सं0-225/2024 धारा 380/457/411 भादवि थाना इकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर
6. मु0अ0सं0-237/2024 धारा 382 भादवि थाना इकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. 23000/- रूपये नगद
2. 1 लूट का मोबाईल फोन
3. 14 लूट/चोरी के मोबाईल फोन (विभिन्न कम्पनियो के)
4. 01 जोड़ी पायल
5. 03 जोड़ी चांदी की पाजेब
6. एक बाल स्ट्रेटनर,
7. एक मल्टीटूल प्लास

2.थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त थार गाडी बरामद।

कार्यवाही का विवरण- थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा दिनांक **16.06.2024** को केन्द्रीय विहार गोल चक्कर के पास सै0 50 नोएडा गौतमबुद्धनगर से 03 अभियुक्त 1.नितेश गुप्ता पुत्र अमिताभ गुप्ता 2.तुषार कालरा पुत्र सुरेन्द्र कालरा 3.नवीन अवाना पुत्र सतीश अवाना को मय घटना में प्रयुक्त थार गाडी रजि0 नं0 यूपी 16 ईएफ 8882 के

सहित **गिरफ्तार** किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 0231/2024 धारा 307/504 भादवि0 पंजीकृत है।

घटना का विवरण--दिनांक **08.06.2024** को तीनों अभियुक्त के द्वारा थार गाडी रजि0 नं0 यूपी 16 ईएफ 8882 से उपनिरीक्षक व मुख्यआरक्षी के साथ घटना कारित करने के सम्बन्ध में थाना सेक्टर 49 पर मु0अ0सं0 0231/2024 धारा 307/504 भादवि0 पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. नितेश गुप्ता पुत्र अमिताभ गुप्ता नि0 ए 152 सै0 41 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र 22 वर्ष
2. तुषार कालरा पुत्र सुरेन्द्र कालरा नि0 बी 163 सै0 41 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र 20 वर्ष
3. नवीन अवाना पुत्र सतीश अवाना नि0 सी 61 सै0 108 नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र 21 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 0231/24 धारा 307/504 भादवि0 थाना सै0 49 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. घटना में प्रयुक्त थार गाडी रजि0 नं0 यूपी 16 ईएफ 8882

2.थाना कासना पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण--दिनांक **08.06.2024** को वादिया द्वारा अपनी बहन की पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष को अभियुक्त रमन पुत्र कमल सिंह द्वारा बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 140/2024 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत कराया था । मुकदमा पंजीकृत होने के पश्चात् थाना कासना पुलिस द्वारा दिनांक 08.06.2024 को ही लडकी को सकुशल बरामद किया गया था ।

कार्यवाही का विवरण--दिनांक **16.06.2024** को थाना कासना पुलिस द्वारा अभियुक्त रमन पुत्र कमल सिंह को कासना बस स्टैण्ड स्थित लुक्सर मोड के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। पीड़िता के बयानों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि व 5/6 पॉक्सो अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गयी है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. अभियुक्त रमन पुत्र कमल सिंह निवासी ग्राम असरौली थाना अहमदगढ़ जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 20 वर्ष

अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0स0 140/2024 धारा 376/363/366 भादवि व धारा 5/6 पॉक्सो अधिनियम थाना कासना गौतमबुद्ध नगर